

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार सितम्बर 14, 1973/भाद्र 23, 1895

No. 228]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 1973/BHADRA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 14th September 1973

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 17-Customs, dated the 17th February, 1973, namely:—

In the said notification,—

(i) for condition (1), the following condition shall be substituted, namely:—

“(1) The importer shall make a declaration on the bill of entry to the effect that the hollow in question will be used for the manufacture of seamless steel tubes to be supplied for use in the manufacture of industrial and power boilers;”;

(ii) in condition (2), the word “and” occurring at the end, shall be omitted;

(iii) in condition (3), the word “and” shall be added at the end;

(iv) after condition (3), the following condition shall be inserted, namely:—

“(3A) The importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs, may specify in this behalf, produce a certificate from the Director General of Technical Development to the effect that

the imported hollows covered by the bill of entry have gone into the production of seamless steel tubes which have been used in the manufacture of industrial and power boilers; thereupon the bond executed by the importer at the time of importation of the goods shall be cancelled."

[No. 129/No. 355/84/73-Customs I]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 14 मितम्बर, 1973.

सा० का० नि० 442 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 17-सीमा-शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1973 में निम्न-लिखित और संशोधन करती है. अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) शर्त (1) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) आयातकर्ता आयात-बिल में इस आशय की घोषणा करेगा कि प्रशुगत हॉलो का प्रयोग औद्योगिक और पावर बॉयलरों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए उदाय किए जाने वाले बिना जोड़ के इस्पात ट्यूबों के विनिर्माण के लिए किया जाएगा।”

(ii) शर्त (2) में, अन्त में आने वाले शब्द “और” का लोप कर दिया जाएगा

(iii) शर्त (3) में, “और” शब्द अन्त में जोड़ा जाएगा ;

(iv) शर्त (3) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3क) आयातकर्ता, ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त निर्दिष्ट करे, तकनीकी विकास महानिदेशक से इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करेगा कि आयात-बिल के अन्तर्गत आने वाले आयातित हॉलो उन बिना जोड़ के इस्पात ट्यूबों के उत्पादन में लिए गए हैं जिनका प्रयोग औद्योगिक और पावर बॉयलरों के विनिर्माण में किया गया है ; तदुपरि माल के आयात के समय आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया बन्धपत्र रद्द कर दिया जाएगा ।”

[सं० 129/सं० 355/84/73-सीमा-शुल्क I]

एस० नारायणन, उप-सचिव ।